

पत्रांक 1114
सेवा में,

/54 बजट (मार्ग/सेतु अनुरक्षण-दु.स.क्षे.)/2018-19

दिनांक 26/11/2018

अधिकासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक 3054 (राजस्व) अनुरक्षण एवं मरम्मत-दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र मद में आवंटन।

सन्दर्भ:- (1) शासनादेश संख्या 1503/111 (2)/18-03 (बजट)/2018 दिनांक 09.04.2018
(2) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का पत्र संख्या सी.आर.आर.आई./टी.टी.पी./1/2018 दिनांक 29.08.2018
(3) प्रमुख अभियन्ता लो.नि.वि. देहरादून का कार्यालय ज्ञाप संख्या 1069/100 प्रशिक्षण/18 दिनांक 01.11.2018
उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 (क्र0सं0 1) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-3054-03-337-03-00-29 (राजस्व) अनुरक्षण एवं मरम्मत (दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र) मद में ₹ 300.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि एवं केन्द्रीय सड़क संस्थान नई दिल्ली के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29.08.2018 (क्र0सं0 2) के द्वारा रोड सेफटी उपायो हेतु प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक 10.12.2018 से दिनांक 24.12.2018 तक) सूचित प्रशिक्षण सदस्यता शुल्क एवं तदक्रम इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.11.2018 (क्र0सं0 3) के द्वारा लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत 06 अभियन्ताओ को दिनांक 10.12.2018 से दिनांक 24.12.2018 तक प्रस्तावित "Road Safety Audit and other Road Safety related aspects" प्रशिक्षण हेतु प्रदत्त अनुमति/स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नविवरणानुसार ₹ 5.84 लाख (₹ पाँच लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि इंगित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है। (धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का पत्र संख्या	वाँछित धनराशि का प्रयोजन	सूचित माँग	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन
1	2	3	4	5
1	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का पत्र संख्या सी.आर.आई./टी.टी.पी./1/2018 दिनांक 29.08.2018	"Road Safety Audit and other Road Safety related aspects" (प्रशिक्षण दिनांक 10.12.2018 से दिनांक 24.12.2018 तक प्रस्तावित) Certificate Course" हेतु।	5.84	5.84
	योग,		5.84	5.84

आवंटन की शर्तों:- (1) आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उपर्युक्त वर्णित प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के पक्ष में नियमानुसार ई0 बैंकिंग अथवा बैंक ड्रफ्ट के माध्यम से अविलम्ब जमा किया जायेगा, किसी भी दशा में यह धनराशि अन्य मदो/प्रयोजनो में व्यय नहीं की जायेगी।

(2) अधिकासी अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 देहरादून के द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि ₹ 5.84 लाख (₹ पाँच लाख चौरासी हजार मात्र) का आहरण नियमानुसार करते हुये आहरित धनराशि 'Director, Central Road Research Institute, New Delhi, Payable at state Bank of India, New Delhi, CRR Branch, A/C No. 30268867237, MICR No. 110002445, IFSC Code; SBIN0010442, Branch Code 10442 के पक्ष में दिनांक 10.12.2018 से पूर्व प्रेषित करते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराया जायेगा। सुलभ संदर्भ हेतु केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29.08.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(3) उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित शर्तों एवं केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29.08.2018 में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0 22, लेखाशीर्षक 3054 सड़क तथा सेतु 03 राज्य राजमार्ग, 337 सड़क निर्माण कार्य 03 अनुरक्षण एवं मरम्मत (दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र) 0029 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा। संलग्न -यथोपरि।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
- (2) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (3) वित्त नियंत्रक, कार्या0 प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि.देहरादून। साख-सीमा जारी करने हेतु।
- (4) मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग देहरादून।
- (5) अधीक्षण अभियन्ता, नवों वृत्त, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
- (6) अधिकासी अभियन्ता, आई0टी0/प्रशिक्षण वर्ग कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं अग्रत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

1-T
upload
2018
26-11-18
(देवेन्द्र शास्त्री)
अधिकासी अभियन्ता